Seventeenth Series, Vol. XXIII No.17

Tuesday, March 21, 2023
Phalguna 30, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eleventh Session

(Seventeenth Lok Sabha)

(Vol. XXIII contains Nos.11 to 20)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Kamala Subramanian

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXIII, Eleventh Session, 2023/1944 (Saka)
No. 17, Tuesday, March 21, 2023/ Phalguna 30, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No. 281 and 282	9-13
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 283 to 300	11-77
Unstarred Question Nos. 3221 to 3450	78-708

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	710-717
COMMITTEE ON ESTIMATES	
23rd to 25th Reports	718
COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES	
Statements	719-720
STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY	
43rd to 46th Reports	720
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE	
32nd to 38th Reports	721-722
STANDING COMMITTEE ON ENERGY	
33rd and 35th Reports	723
COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS	
20th Report	724
STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	724
24th and 25th Reports	
STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS	
Statement	725
STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS	
(i) 39th to 42nd Reports	
(ii) Final Action Taken Statements	726-727
STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL	
38th and 40th Reports	728

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 313th Report of the Standing Committee on Industry on Downturn in Automobile Sector - Its Impact and Measures for Revival pertaining to the Ministry of Heavy Industries

Shri Krishan Pal 729

MATTERS UNDER RULE 377 730-746

(i) Need to run a train from Gorakhpur to Prayagraj via Bhatni, Salempur and Varanasi

Shri Ravindra Kushawaha 731

(ii) Need to expedite construction of International Airport at Bihta in Patna, Bihar

Shri Ram Kripal Yadav 732

(iii) Need to establish regional Centres of the Sangeet Natak Akademi, Indian council for Cultural Relations and Rashtriya Natya Vidyalaya in Jharkhand

Shri Sanjay Seth 733

(iv) Need to construct ROBs in Darbhanga district, Bihar from CRIF under Setu Bandhan Programme

Shri Gopal Jee Thakur 734

(v) Need to provide a halt station near Pateri village in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Janardan Singh Sigriwal 735

(vi) Need to upgrade Prayagraj Airport as International Airport and start flight services from Prayagraj to various cities in India.

Shrimati Keshari Devi Patel 736-737

(vii) Need to extend Intercity Express between Lucknow and Varanasi upto Bhatni Railway Junction in Deoria district, Uttar Pradesh.

Dr. Ramapati Ram Tripathi 737

(viii) Need to provide employment to local people and women in commercial establishments along newly developed Delhi-Mumbai Express highway in Dausa Parliamentary Constituency

Shrimati Jaskaur Meena 738

(ix) Need for doubling of Lucknow-Sitapur Railway Section

Shri Rajesh Verma 738

(x) Need to simplify software system of MGNREGS

Shri Naranbhai Kachhadiya 739

(xi) Regarding proposed amendment in Offshore Areas Mineral (Development & Regulation) Act, 2002

Shri T. N. Prathapan 740

(xii) Regarding resumption of a daily direct train between Chennai to Tiruvannamalai

Shri C. N. Annadurai 741

(xiii) Regarding Centennial Birth celebration and a commemorative postal stamp for social reformer Shri L. Elayaperumal

Dr. D. Ravikumar 742

(xiv) Need to enhance the minimum pension of pensioners under the EPS-95

Shri Shrirang Appa Barne 743

(xv) Regarding construction of greenfield four-lane road from Bidupur to Purnia in Bihar

Shri Dinesh Chandra Yadav 744

(xvi) Regarding plight of daily wage workers under various departments of Government of Jammu and Kashmir

Shri Hasnain Masoodi 745

(xvii) Regarding grant of approval of doubling of AmbalapuzhaThuravur stretch of railway line

Adv. A. M. Ariff 746

UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR BUDGET, 2023-24-GENERAL DISCUSSION

AND

DEMANDS FOR GRANTS- UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR, 2023-24

AND

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS- UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR, 2022–23

AND

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – SECOND BATCH, 2022–23 747-757

GOVERNMENT BILLS - INTRODUCED

(i) JAMMU AND KASHMIR APPROPRIATION (NO.2) BILL, 2023 758-760

Motion to Introduce 758

Motion to Consider 759

Shri Pankaj Chaudhary 758-759

Clauses 2,3 and 1	759
Motion to Pass	760
(ii) JAMMU AND KASHMIR APPROPRIATION BILL, 2023	761-763
Motion to Introduce	761
Motion to Consider	762
Shri Pankaj Chaudhary	761-762
Clauses 2,3 and 1	762
Motion to Pass	763
(iii) APPROPRIATION (NO.2) BILL, 2023	764-766
Motion to Introduce	764
Motion to Consider	765
Shri Pankaj Chaudhary	764-766
Clauses 2,3 and 1	765
Motion to Pass	766
ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER	
RE: Cancellation of Sitting of the House	767
***ANNEXURE – I**	
Member-wise Index to Starred Questions	745
Member-wise Index to Unstarred Questions	746-752
***ANNEXURE – II**	
Ministry-wise Index to Starred Questions	753
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	754

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, March 21, 2023/ Phalguna 30, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 281, श्री रवनीत सिंह।

. . .(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 282, श्री जुगल किशोर शर्मा जी।

… (व्यवधान)

श्री जुगल किशोर शर्मा: महोदय,…(व्यवधान)

11.01 hrs

At this stage, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Sushri S. Jothimani and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं प्रश्न काल के बाद आपको बोलने का समय दूंगा। आप अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप विराजिए और आप लोग भी अपनी सीट्स पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट रूकिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कल भी सभी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत आग्रह किया था और आज सदन के माध्यम से पुन: आग्रह करना चाहता हूं कि सदन चले, बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, कल हमें नहीं बोलने दिया।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबको बोलने का मौका देंगे।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, नहीं देते हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल के बाद स्थगन प्रस्ताव के समय अगर आपको मौका न दें तो आप 'वेल' में आ सकते हैं।

… (व्यवधान)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 283 to 300
Unstarred Question Nos. 3221 to 3450)
(Page No. 11 to 708)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आईटम नंबर-2 – श्री फग्गनसिंह कुलस्ते।

… (व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते): सभापति महोदय**,** मैं भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 9211/17/23]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9212/17/23]

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री रामदास अठावले जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9213/17/23]

(3) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9214/17/23]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी, अपर मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी भर्ती तथा सेवा-शर्तें नियम, 2023, जो 11 जनवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 20(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9215/17/23]

(2) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) असम राइफल्स, हवलदार (जनरल ड्यूटी), अराजपत्रित, अननुसचिवीय समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2022, जो 14 जनवरी, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) असम राइफल्स वारंट ऑफिसर (साइफर), समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती नियम, 2022, जो 14 जनवरी, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में

अधिसूचना सं. सा.का.नि.2 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) असम राइफल्स (रिकवरी व्हीकल मैकेनिक), समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती नियम, 2022, जो 14 जनवरी, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.3 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9216/17/23]

(3) (एक) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9217/17/23]

(5) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर ट्रांसपोर्ट और मोटर मैकेनिक काडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2023, जो 9 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.89(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9218/17/23]

(6) (एक) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9219/17/23]

… (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): सभापति महोदय, कुमारी प्रतिमा भौमिक जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9220/17/23]

(2) (एक) कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9221/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. एल. मुरुगन जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9222/17/23]

(3) (एक) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9223/17/23]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): सभापति महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9224/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 8ए – श्री पंकज चौधरी जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) अधिसूचना सं. 13/2023 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को कम करने के आशय वाली दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) अधिसूचना सं. 14/2023 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के आशय वाली दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9224(A)/17/23]

14.02 hrs

COMMITTEE ON ESTIMATES

23rd to 25th Reports

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, मैं प्राक्कलन समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 'एमपीएलएडी निधि योजना के अंतर्गत निधियों के आबंटन और उपयोग की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'सभी एम्स की प्रगति की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(3) गृह मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

14.03 hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

Statements

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): सभापति महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के अंतिम की- गई-कार्रवाई संबंधी निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) 'अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चिकित्सा संस्थाओं में कार्यान्वित की जा रही आरक्षण नीति की समीक्षा' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

14.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

43rd to 46th Reports

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022- 23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(3) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

14.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

32^{nd} to 38^{th} Reports

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 32वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) – नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

संबंधी समिति का 34वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 35वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति और रक्षा आयोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) – नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 38वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

14.05¼ hrs

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
33rd to 35th Reports

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy (2022-23):-

1. Thirty-third Report on 'Action-Taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the Twenty-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of New and Renewable Energy'.
2. Thirty-fourth Report on 'Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of New and Renewable Energy'.
3. Thirty-fifth Report on 'Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Power'.

14.05½ hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
20th Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to present the Twentieth Report (Hindi and English versions) of the Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants for the year 2023-24'.

14.05¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
24th and 25th Reports

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2022-2023):-

(1) Twenty-fourth Report on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

(2) Twenty-fifth Report on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

14.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS

Statement

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): महोदय, मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय–एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

14.06¼ hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

(i) 39th to 42nd Reports

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'सतत फसल उत्पादन और मृदा उर्वरता बनाये रखने के लिए नैनो-उर्वरक' विषय संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(2) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

(4) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

(ii) Final Action Taken Statements

SHRI UDAY PRATAP SINGH (HOSHANGABAD): Sir, I beg to lay on the Table the following Final Action Taken Statements (Hindi and English versions) showing Final Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the following Action Taken Reports of the Standing Committee on Chemicals & Fertilizers (2021-22):-

(1) Thirty-fifth Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the Recommendations of the Committee contained in their Thirty-first Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Availability of medicines and medical devices for COVID Management' relating to the Department of Pharmaceuticals.

(2) Thirty-sixth Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the Recommendations of the Committee contained in their Thirty-second Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)' of the Department of Fertilizers.

(3) Thirty-seventh Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the Recommendations of the Committee contained in their Thirty-third Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for 10 Grants (2022-23)' of the Department of Chemicals and Petrochemicals.

(4) Thirty-eighth Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the Recommendations of the Committee contained in their Thirty-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)' of the Department of Pharmaceuticals.

14.06¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL

38th and 40th Reports

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदय, मैं कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

14.07 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 313th Report of the Standing Committee on Industry on Downturn in Automobile Sector - Its Impact and Measures for Revival pertaining to the Ministry of Heavy Industries*

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदय, मैं भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'वाहन क्षेत्र में मंदी – इसके प्रभाव और पुनरूद्धार के लिए उपाय' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। …(व्यवधान)

14.08 hrs

At this stage Dr. Mohammad Jawed, Kumari Ramya Haridas, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon.Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 9211/17/23.

14.09 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने विषयों के अनुमोदित पाठों को 20 मिनट के अंदर विस्तृत रूप से सभा पटल पर रख दें।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सभी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to run a train from Gorakhpur to Prayagraj via Bhatni, Salempur and Varanasi

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): गोरखपुर-भटनी-सलेमपुर - वाराणसी होते हुये प्रयागराज तक जाने वाला रेल खण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिस पर लाखो यात्री यात्रा करतें हैं। गोरखपुर-वाराणसी व प्रयागराज व्यापारिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से सुविख्यात हैं। लाखों लोग गोरखपुर में गोरखनाथ मन्दिर, मर्यादा पुरूषोतम प्रभु श्री राम के पुत्र कुश की नगरी कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में पुजा अर्चना करने आते हैं। इसी प्रकार महान संत कबीर दास जी की नगरी संत कबीर नगर एंव देवरिया में देवरहवा बाबा की तपो भूमि का भ्रमण, दर्शन एवं पूजन करने आते हैं। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, संतकबीर नगर, तथा बिहार प्रान्त के गोपालगंज व सिवान के लाखों लोग रोजाना वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर एंव भगवान बुद्ध की तीर्थ स्थली सारनाथ में पूजन करने जाते हैं। इसी प्रकार गंगा यमुना सस्वती तीनों नदियों का संगम व तीर्थ नगरी प्रयागराज में स्नान करने आते हैं।

व्यापार की दृष्टि से भी इन जिलों के लोग अपने कृषि उत्पाद जैसे पान, फल, फूल आदि को बड़े बाज़ार में बेचने तथा अन्य व्यापारिक कारणों से हजारों लोग इस रेल खण्ड पर प्रतिदिन यात्रा करते हैं। इस रेल खण्ड पर कोई महत्वपूर्ण रेल गाड़ी न होने के कारण लाखों यात्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि गोरखपुर-भटनी- सलेमपुर वाराणसी होते हुये प्रयागराज तक शताब्दी रेल गाड़ी या कोई अन्य सुपर फास्ट कुर्सीयान रेल गाड़ी का संचालन किया जाये जिससे इस क्षेत्र में व्यापार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

(ii) Need to expedite construction of International Airport at Bihta in Patna, Bihar

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र अंतर्गत पटना ज़िला के बिहटा में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा काफी दिन पूर्व दी गयी है। बिहार सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया है। अधिगृहित जमीन की बाउंडरी भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।

केन्द्र सरकार से स्वीकृत बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास से एनएच 30 पटना-बक्सर सड़क गुजर रही है। उस पथ पर बिहटा से दानापुर तक एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहटा- सरमेरा पथ जो 6 लेन पटना रिंग रोड का हिस्सा भी है, उसका निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। बिहटा में IIIT, नाइलेट, ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, NIT, फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टिट्यूट, ड्राई पोर्ट एवं कई आद्योगिक पार्क सहित कई अन्य सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान कार्यरत है या निर्माणाधीन है। राजधानी पटना का तेजी से विस्तार दानापुर से बिहटा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है।

उसके अलावा एन एच 30 पटना बक्सर, बिहटा सरमेरा, रामनगर कन्हौली 6 लेन सड़क, शेरपुर में प्रस्तावित गंगा नदी पर पुल के निर्माण से बिहटा एयरपोर्ट से आरा, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा सहित अन्य जिलों को एयरपोर्ट की सरल, सुगम और तेज संपर्क स्थापित होगा। उपरोक्त वर्णित बातों से स्वतः स्पष्ट है कि एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की सभी वांछित अहर्ताएं बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरा कर रहा है, फिर भी निर्माण कार्य शुरू होने में विलंब समझ से परे है। अतः माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने हेतु द्रुत कार्रवाई की जाए।

(iii) Need to establish a regional Centres of the Sangeet Natak Akademi, Indian Council for Cultural Relations and Rashtriya Natya Vidyalaya in Jharkhand

श्री संजय सेठ (राँची): झारखंड सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश है। विविध संस्कृति के बावजूद यहां की एकता बेमिसाल है। राज्य में 32 जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। इन सबकी अलग-अलग सांस्कृतिक विशेषताए हैं। अलग रहन सहन है। झारखंड नृत्य, संगीत और वाद्य की समृद्ध विरासत वाला प्रदेश है, इसलिए यहां कहा जाता है नाची से बाची। इसके अलावा लोक चित्रकला, कोहबर, सोहराई, जादूपटा आदि की विश्वभर में लोकप्रिय बनने की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड में ऐसी कई कलाएं हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। झारखंड प्रदेश के कई कलाकार अपनी कला के माध्यम से देशभर में पहचान बना चुके हैं और ऐसे कई कलाकार हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, थिएटर में नैसर्गिक रूप से प्रतिभावान है। संसाधनों की कमी के कारण ये कलाएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित नहीं हो पा रही हैं। ऐसी कला और कलाकारों को तत्काल संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि झारखंड में संगीत नाटक अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र खोला जाए, ताकि हमारी समृद्ध संस्कृति और कला सुरक्षित रह सके।

(iv) Need to construct ROBs in Darbhanga district, Bihar from CRIF under Setu Bandhan Programme

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): दरभंगा शहर उत्तर बिहार का प्रमुख शहर और मिथिला की हृदयस्थली को जाम से मुक्ति हेतु आदरणीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने सेतु बंधन योजना अन्तर्गत (सीआरआईएफ) फंड से यथाशीघ्र आरओबी निर्माण करने की घोषणा की थी।

आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि दरभंगा शहर में प्रतिदिन लोगों को भीषण जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कि जनहित में दरभंगा शहर में सेतु बंधन योजना अन्तर्गत सीआरआईएफ (सेन्ट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) से पांच आरओबी का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ हो इस हेतु संबंधित पदाधिकारी को दिशा-निर्देश प्रदान किया जाय ताकि जनता जनार्दन की चिरलंबित आकांक्षा को पूर्ण किया जा सके।

(v) Need to provide a halt station near Pateri village in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा,बिहार अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में एक महत्वपूर्ण रेलखंड "महाराजगंज-मशरक" है। इस रेल खंड पर एक पटेढ़ी ग्राम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री महामाया बाबू जो बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध और आदर्शवादी नेता थे, इसी ग्राम के थे। इतने प्रसिद्ध ग्राम और इसके आस-पास के दर्जनों ग्रामों की जनता को रेल मार्ग से यात्रा करने के लिए नजदीक में एक रेलवे स्टेशन की अतिआवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र के लोग कम खर्च में रेल मार्ग से सुगमता पूर्वक यात्रा कर सके। अत : रेल मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के उपर्युक्त रेलखंड पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री महामाया बाबू के नाम पर पटेढ़ी ग्राम के पास,एक रेलवे हाल्ट स्टेशन बनाया जाये ताकि इस पूरे क्षेत्र की जनता को रेल यातायात की सुविधा मिले।

(vi) Need to upgrade Prayagraj Airport as International Airport and start flight services from Prayagraj to various cities in India

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): मैं सरकार का ध्यान जनपद प्रयागराज उ०प्र० की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और इस जनपद प्रयागराज में एअरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शुभारम्भ 16 दिसम्बर 2018 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ था। वर्तमान समय में प्रयागराज एअरपोर्ट से लगभग 16 फ्लाइट आवागमन कर रही हैं, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा सरकार से निम्नलिखित कार्य करने के लिये विनम्र निवेदन है**:-**

प्रयागराज एअरपोर्ट पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एअरपोर्ट है चूँकि उत्तर प्रदेश एक आबादी बाहुल्य राज्य है। इस लिहाज़ से भी प्रयागराज एअरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट बनाने की आवश्यकता है क्योंकि इसका आकार बढेगा तो यहॉ रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे, यहां पर पहले से ही मिडिल ईस्ट के लोग कार्य करते हैं और पूर्वांचल से सटे हुए जिले भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। प्रयागराज में आने वाले कुम्भ जो कि 2025 में होना है जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं का आवागमन होगा उसको भी दृष्टिगत रखते हुए प्रयागराज एअरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय आकार देने की जरूरत है। प्रयागराज एअरपोर्ट से दिल्ली और दिल्ली से प्रयागराज विमान यात्रा के लिये सुबह 7-9 बजे एवं शाम को 7-9 बजे के आसपास विमान सेवा शुरू की जाने की विशेष आवश्यकता है। आने वाले महाकुम्भ को ध्यान में रखते हुए यंहा यह भी मेरे द्वारा मांग की जाती है क्योंकि महाकुम्भ में लोगों की विशेष आस्था है तो इसमें शामिल होने के लिये लोग सम्पूर्ण भारत के अलग अलग राज्यों से आयेंगे और उन्हें यात्रा करने में किसी भी प्रकार की बाधा ना आये इसके लिये इन रुटस जैसे प्रयागराज-कोलकाता-प्रयागराज, प्रयागराज-नागपुर-हैदराबाद-नागपुर-प्रयागराज, प्रयागराज-आगरा –जयपुर-आगरा और प्रयागराज-पटना- प्रयागराज पर भी विमान यात्रा शुरू की जाए। प्रयागराज एअरपोर्ट पर लेंडिंग की पर्याप्त सुविधाएं हैं लेकिन अभी तक रात में विमानों का आवागमन शुरू नहीं किया गया है क्योंकि सेना की तरफ से अनुमति नहीं

मिल रही है। मेरा माननीय नगरिक उड्डयन मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे द्वारा ऊपर उल्लिखित सभी कार्यों को सम्बंधित अधिकारी से पूर्ण करवाने का कष्ट करें।

(vii) Need to extend Intercity Express between Lucknow and Varanasi upto Bhatni Railway Junction in Deoria district, Uttar Pradesh

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मैं अपने लोक सभा क्षेत्र देवरिया के सम्बंध में ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि देवरिया जनपद उत्तर प्रदेश का पूर्वी सीमा का अंतिम जिला है और हमारे क्षेत्र में ही भटनी रेलवे जंक्शन है जहाँ से ट्रेनें सीधे बाहर की तरफ जाती है और डाइर्वट होकर बलिया, मऊ होते हुए वाराणसी तक जाती है। गोरखपुर से एक इंटरसिटी ट्रेन लखनऊ जाती है और वापस आती है और गोरखपुर से लगा जिला देवरिया उससे वंचित रह जाता है। इस ट्रेन को भटनी जंक्शन तक चलाया जाए, और उसके लिए आवश्यक है कि भटनी में एक वाशिंग किट की स्थापना की जाए, जिससे कि उक्त जंक्शन पर आने वाली ट्रेनों का ठहराव हो सकें। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह करता हूँ कि उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(viii) Need to provide employment to local people and women in commercial establishments along newly developed Delhi-Mumbai Express highway in Dausa Parliamentary Constituency

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा (राजस्थान) में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का प्रथम भाग पूर्ण हुआ। यह कार्य माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का प्रयास है। इस हाइवे के साथ विश्राम क्षेत्र विकसित किए हैं। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होनी है। अतः मेरा अनुरोध है कि स्थानीय नागरिकों को रोजगार देने हेतु विभिन्न कार्यों में जैसे व्यवसायिक दुकान, टोल सर्विस के कार्य, सफाई व्यवस्था, खानपान सुविधा क्षेत्र जैसे अनेक रोजगार सृजित कर स्थानीय बेरोजगारों को अवसर दिया जाए। जिन किसानों की भूमि सड़क निर्माण में गई है उन्हें रोजगार दिया जाए । प्रत्येक विश्राम क्षेत्र में महिला संघ सहायता समूह को एक स्थान निर्धारित कर उनके उत्पाद को बेचने का मौका दिया जाए। बजट घोषणा में स्वयं सहायता समूह को सक्षम करने की पहल का आदर होगा। दौसा जिले में जनजाति के लोग पलायन से भी बच सकेंगे। टोल प्रबंधन में एक स्थान पर पूर्ण रूप से महिलाओं को यह जिम्मेदारी दी जाए।

(ix) Need for doubling of Lucknow-Sitapur Railway Section

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): मैं सरकार का ध्यान NER रेलवे अंतर्गत लखनऊ-सीतापुर रेलखंड की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। NER रेलवे अंतर्गत लखनऊ-सीतापुर रेलमार्ग के दोहरीकरण की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार के संज्ञान में यह भी लाना है कि बुड़वल- सीतापुर, शाहजहाँपुर-बरेली रेलखंड पर रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सीतापुर-लखनऊ रेलमार्ग का दोहरीकरण करने से एक नया रूट रेलवे के लिए खुलेगा। जिस पर बहुत सारी सवारी गाड़ियों का आवागमन बढ़ाया जा सकता है। अतः मैं रेल मंत्री जी से माँग करता हूँ कि लखनऊ-सीतापुर रेलमार्ग के दोहरीकरण कराने के निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(x) Need to simplify software system of MGNREGS

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मेरा विषय मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिले में मनरेगा योजना के अन्तर्गत आवेदन करने में होने वाली परेशानियों के संबंध में है। जैसा कि हम जानते हैं कि MNREGA जो एक रोजगार गारंटी योजना है और इसके सॉफ्टवेर में सिस्टम अपडेट के कारण लेबर और स्किल मस्टर डिस्प्ले नहीं हो पाता है जिससे अमरेली के महुवा तालुके के डुडास, जांबुड़ा, कोंजली और कालेला गाँव में मानव दिन का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के स्किल और मटीरियल्स के काम में वेज लिस्ट तक एंट्री की गई है लेकिन First Sign में इस एंट्री के डिस्प्ले न होने के कारण इन व्यक्तिगत कार्यों का पेमेंट नहीं हो पाता है। सिस्टम अपडेट होने से अमरेली जिले के खांभा और राजुला तालुके में स्किल मस्टर रोल फिल और डिस्प्ले भी नहीं हो पाता है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में हाजरी से E- मस्टर रोल फिल करते समय edit का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होता और पेमेंट करने मे भी समस्या आती है जिसके कारण मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता है।

अतः मै माननीय मंत्री जी से विनती करता हूँ कि इस सॉफ्टवेर की प्रक्रिया को सरल बनाने की कृपा करें।

(xi) Regarding proposed amendment in Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): The Government of India proposes a new legislation (amendments) in the Offshore Area Mineral (Development & Regulation) Act, 2002 that allows sand mining in coastal regions. According to the proposed plan, there is black sand placer deposit which can generate 120-billion-dollar income from the coast of Kerala. It is found in the area upto 100 meters depth from the coastal area. However, these unique resources of Kerala are becoming privatised. Kerala's offshore is also peculiar with presence of construction sand. For the fishermen, the land that was hitherto public property is now becoming the property of corporates. All the important fishing centres are located in the off seas of Kerala. Some of these are also home to India's richest marine species. About 3800 trawlers and more than 500 fibre canoes in Kerala are playing in this sector. We have to consider the dilapidated conditions in the coastal areas where the indiscriminate mining in the coastal areas took place that was done by public sector. If the mining activities are given to private players, the impact would be tragic. Considering the fragile environmental scenario and livelihood of thousands of people, the proposed plan to be reconsidered.

(xii) Regarding resumption of a daily direct train between Chennai to Tiruvannamalai

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): There is a demand by a large number of public for direct train connection between Chennai and Tiruvannamalai. Tiruvannamalai Railway Station in Tamil Nadu is 125 years old. The Passenger Train from Tamnbaram to Tiruvannamalai was running till 2007 on narrow gauge. The work relating to conversion of narrow gauge to broad gauge commenced in the year 2007 which temporarily disrupted the railway connectivity to Tiruvannamalai. After completion of conversion of railway track, the daily passenger train which was operating between Tambaram to Tiruvannamalai has not been restored. Needless to reiterate that the Temple City of Tiruvannamalai attracts lakhs of visitors for Darshan of Lord Arunachaleshwara and Girivalam. Hon'ble Railway Minister, may, therefore, take necessary action to resume a daily direct train between Chennai to Tiruvannamalai without further delay.

(xiii) Regarding centennial Birth celebration and a commemorative postal stamp for social reformer Shri L. Elayaperumal

DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): The Centenary of one of Tamil Nadu's famous Dalit leaders and social reformer Shri L. Elayaperumal (1924-2005) begins in June 2023. He was a three time member of Lok Sabha and chaired the first ever National Commission set up by the Union Government to inquire into the educational and economic condition of the untouchables. He toured all over the country, and submitted his report 'Untouchability: Economic and Educational Development of Schedule Castes' offering valuable recommendations for the uplift of the untouchables in 1969. This report was the major reasons for the enactment of The Schedule Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act. After Babasaheb Dr Ambedkar, he was the only leader who travelled all over India to know sufferings of Dalits and gave his voice to solve them. I request the Union Government of India to recognise his invaluable service and celebrate his Centenary. The Union Government should issue a commemorative postal stamp bearing his image.

(xiv) Need to enhance the minimum pension of pensioners under the EPS-95

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 04.10.2016 के निर्णय में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस 95) के तहत पिछले 12 महीनों के वास्तविक वेतन/मजदूरी के आधार पर पेंशन दिए जाने का निर्णय दिया था जबकि वर्तमान में EPS-95 पेंशनभोगी को 1170 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में पेंशनभोगियों को मात्र 1170 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिल रहे हैं और इस नाममात्र की राशि से, सेवानिवृत्ति के बाद, उम्र के साथ चिकित्सा व्यय बढ़ जाने से, परिवार के सदस्य पर दवाओं, भोजन और दिन-प्रतिदिन के खर्चों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। जबकि इतनी कम पेंशन मिलने से अपने पूरे महीने का खर्चा उठाना भी मुश्किल कार्य होता है जबकि न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इन EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन कम से कम 9000 रुपये प्रति माह किये जाने के साथ ही साथ, साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिए जाने की आवश्यकता है और वृद्धावस्था पेंशनरों को राहत देने लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है। वृद्धावस्था पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार करने और इन पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत दिए जाने के लिए डॉ भगत सिंह कोश्यारी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ ही साथ लागू किये जाने और इनको EPS-95 पेंशनभोगी डीए के साथ 9000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने के लिए योजना को तदनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के वर्षों के दौरान सम्मानजनक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने के लिए ईपीएस-95 को संशोधित और कोश्यारी समिति की सिफारिशों को लागू कर ईपीएस-95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए।

(xv) Regarding construction of greenfield four-lane road from Bidupur to Purnia in Bihar

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): बिहार राज्य अन्तर्गत विदुपुर से दलसिंहसराय-सिमरी बख्तियारपुर-उदाकिशुनगंज- पूणियाँ तक पथ निर्माण नहीं होने से उन क्षेत्रों के लोगों का आर्थिक/सामाजिक विकास नहीं हो रहा है । कोशी एवं पूर्णियाँ प्रमंडल की आबादी को राजधानी पटना के लिए पूर्वी-पश्चिमी कोरिडोर के माध्यम से आना पड़ता है, जिसका एलाइनमेंट सीधा नहीं होने के कारण काफी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है । भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत जी०टी० रोड से पूर्वी-पश्चिमी कोरिडोर को जोड़ने के लिए प्रस्तावित आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है । प्रस्तावित आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे पर अवस्थित विदुपुर से दलसिंहसराय-सिमरी बख्तियारपुर-उदाकिशुनगंज होकर पूणियाँ तक नया पथ बन जाने से सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूणियाँ, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों की सम्पर्कता में व्यापक सुधार होगा । ये जिले पूर्वी बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अवस्थित है, जिनकी राजधानी पटना से सुगम सम्पर्कता होने से विकास के आयाम को नयी गति मिल जाएगी और पटना आने-जाने के लिए 133 कि०मी० कम दूरी तय करनी पड़ेगी । उक्त पथ निर्माण के लिए बिहार के दस सांसदों ने माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से मिलकर पूर्व में भी अनुरोध किये था । अनुरोध है कि जनहित में विदुपुर से दलसिंहसराय-सिमरी बख्तियारपुर कशुनगंज-पूणियाँ तक ग्रीनफील्ड फोरलेन योजना से पथ का निर्माण कराया जाए ।

(xvi) Regarding plight of daily wage workers under various departments of Government of Jammu and Kashmir

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): The plight of more than 60 thousand Contractual workers, Contingent Paid Workers (CPW), HDF (Hospital Development Fund) workers, ad-hoc workers, CIC operators, Homeguards, Teachers of Tribal Seasons School, Zonal coordinators under Samagra Shiksha, Contractual Health Workers & Asha workers is worth noting. They have been sweating hard for decades in various Departments of Jammu & Kashmir. These workers are hired on need basis by Departments like; Jal Shakti, Power Development, Health and Education, Rural Development & Panchayati Raj etc. Their constant protests over the last several months have remained unheard. They are demanding regularization and an increase in their salaries in accordance with Minimum Wages Act. The local response has been highly ineffective as demands and well being of our workers have not been heard. Therefore, I strongly urge upon the Government to address the grievances of the daily wage workers by fast-tracking their regularization by fixing a reasonable time frame for their regularization, absorbing them as permanent employees in the Department and issuing orders for their wages as per Minimum Wages Act.

(xvii) Regarding grant of approval of doubling of Ambalapuzha-Thuravur stretch of railway line

ADV. A. M. ARIFF (ALAPPUZHA): The final approval for the doubling of Ambalappuzha – Turavur stretch of Kayamkulam –Ernakulam railway line is still pending with the Railway Board. It has been informed from the Railway Board that proposal for final approval has been placed before the NITI Aayog for clearance. Of the 115 Kilometers stretch of Kayamkulam – Ernakulam Coastal Line, Kayamkulam – Ambalappuzha (45 Kilometers) has already been commissioned and the final approval for Turavur – Kumbalam (15 Kilometers) and Kumbalam – Ernakulam (8 Kilometers) has been obtained from the Railway Board. However, complete utility of the coastal line could be ensured only after the completion of the doubling of Ambalapuzha – Turavur (46 Kilometers) stretch. On completion of doubling, this line would be helpful in emergency situations to commute between Ernakulam and Thiruvananthapuram if the services via Kottayam are disrupted. Hence, delaying the approval for Ambalapuzha – Thuravur stretch would only help to lay idle the already created infrastructure. Hence, I urge upon the Government to intervene in this matter to ensure early clearance for the final approval for the doubling of Ambalapuzha – Thuravur stretch .

14.10 hrs

UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR BUDGET, 2023-24-GENERAL DISCUSSION
AND
DEMANDS FOR GRANTS- UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR, 2023-24
AND
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS- UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR, 2022–23
AND
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – SECOND BATCH, 2022–23

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 22 टू आइटम नम्बर 25 एक साथ लिए जा रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट, माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): आइटम नम्बर 22, आइटम नम्बर 23, आइटम नम्बर 24, आइटम नम्बर 25, ये आवश्यक हैं, जो एजेंडा में हैं।…(व्यवधान) सभापति महोदय, इन्हें चर्चा करा कर पास करा दें।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

> "कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्याओं 1 से 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से

अनधिक संबंधित राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

730

लोक सभा LOK SABHA

संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों
(जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार) की सूची
(.......................... के लिए कार्य सूची के अनुसार)

List of Demands for Grants (Government of Union Territory of Jammu & Kashmir) for 2023-2024 to be submitted to the vote of the House Lok Sabha
(Vide List of Business for ....)

(राशि रुपये में)
(Amount in Rupees)

संख्या और मांग का शीर्षक No. & Name of the Demand			सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखा अनुदानों संबंधी मांगों की राशि Amount of Demands for Grants to be submitted to the vote of the House	
1	2		3	
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital
01	सामान्य प्रशासन विभाग	General Administration Department	529,18,07,000	163,41,19,000
02	गृह विभाग	Home Department	10314,22,39,000	799,61,03,000
03	योजना विभाग	Planning Department	134,80,01,000	786,56,80,000
04	सूचना विभाग	Information Department	122,04,81,000	100,47,70,000
05	खनन विभाग	Mining Department	78,34,61,000	12,20,00,000
06	बिजली विकास विभाग	Power Development Department	4388,24,24,000	1964,90,03,000
07	शिक्षा विभाग	Education Department	12000,18,27,000	792,12,18,000
08	वित्त विभाग	Finance Department	13620,83,88,000	1021,65,59,000
09	संसदीय कार्य विभाग	Parliamentary Affairs Department	58,71,79,000	4,00,00,000
10	विधि विभाग	Law Department	830,23,02,000	192,00,00,000
11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	Industry & Commerce Department	347,43,60,000	741,78,54,000
12	कृषि विभाग	Agriculture Department	1308,00,78,000	1953,95,00,000
13	पशु / भेड पालन विभाग	Animal/Sheep Husbandry Department	669,08,18,000	476,43,73,000
14	राजस्व विभाग	Revenue Department	830,53,54,000	59,50,00,000
15	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	Food Civil Supplies and Consumer Affairs Dept	236,20,92,000	390,87,21,000

4

731

लोक सभा LOK SABHA

संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों
(जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार) की सूची
(.................. के लिए कार्य सूची के अनुसार)

List of Demands for Grants (Government of Union Territory of Jammu & Kashmir) for 2023-2024 to be submitted to the vote of the House Lok Sabha
(Vide List of Business for ....)

(राशि रुपये में)
(Amount in Rupees)

संख्या और मांग का शीर्षक No. & Name of the Demand			सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखा अनुदानों संबधी मांगों की राशि Amount of Demands for Grants to be submitted to the vote of the House	
1	2		3	
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital
16	लोक निर्माण विभाग	Public Works Department	1327,60,32,000	4062,86,99,000
17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	Health & Medical Education Department	6264,74,70,000	2097,53,11,000
18	समाज कल्याण विभाग	Social Welfare Department	3538,71,81,000	98,92,40,000
19	आवास और शहरी विकास विभाग	Housing And Urban Development Department	1297,50,60,000	2928,04,20,000
20	पर्यटन विभाग	Tourism Department	215,00,08,000	287,32,00,000
21	वन विभाग	Forest Department	1568,51,97,000	207,74,52,000
22	सिंचाई विभाग	Irrigation Department	717,57,66,000	1310,50,41,000
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	Public Health Engineering Department	1838,11,64,000	5850,00,00,000
24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	Hospitality & Protocol Department	239,37,08,000	72,00,00,000
25	श्रम,स्टेशनरी और मुद्रण विभाग	Labour,Stationery & Printing Department	111,13,22,000	69,00,23,000
26	मत्स्य विभाग	Fisheries Department	111,56,86,000	153,25,78,000
27	उच्च शिक्षा विभाग	Higher Education Department	1540,67,76,000	729,75,00,000
28	ग्रामीण विकास विभाग	Rural Development Department	748,33,69,000	4169,26,42,000
29	परिवहन विभाग	Transport Department	107,39,02,000	54,39,32,000
30	जनजातीय कार्य विभाग	Tribal Affairs Department	121,90,73,000	446,75,59,000

732

लोक सभा LOK SABHA

संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों
(जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार) की सूची
(................................ के लिए कार्य सूची के अनुसार)

List of Demands for Grants (Government of Union Territory of Jammu & Kashmir) for 2023-2024 to be submitted to the vote of the House
(Vide List of Business for ....)

(राशि रुपये में)
(Amount in Rupees)

संख्या और मांग का शीर्षक No. & Name of the Demand			सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखा अनुदानों संबंधी मांगों की राशि Amount of Demands for Grants to be submitted to the vote of the House	
1	2		3	
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital
31	संस्कृति विभाग	Culture Department	97,37,65,000	170,07,16,000
32	बागवानी विभाग	Horticulture Department	161,52,57,000	572,78,73,000
33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग	Disaster Management,Relief, Rehab. & Reconst. Dept	1009,82,08,000	410,67,41,000
34	युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा विभाग	Youth Services & Technical Education Department	669,47,69,000	227,63,14,000
35	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	Science & Technology Department	13,02,12,000	109,85,00,000
36	सहकारिता विभाग	Cooperative Department	71,19,69,000	25,00,00,000
	जोड़ - राजस्व/पूंजी	Total - Revenue / Capital	67238,67,05,000	33512,86,41,000

"कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 8, 10, 17, 22, 24, 30, 32, 34 और 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

733

लोक सभा LOK SABHA

संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पूरक मांगों

(जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार) की सूची

(........................ के लिए कार्य सूची के अनुसार)

List of Supplementary Demands for Grants (Government of Union Territory of Jammu & Kashmir) for 2022-2023 to be submitted to the vote of the House

(Vide List of Business for ....)

(राशि रुपये में)
(Amount in Rupees)

संख्या और मांग का शीर्षक No. & Name of the Demand			सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखा अनुदानों की पूरक मांगों संबंधी राशि Amount of Supplementary Demands for Grants to be submitted to the vote of the House	
1	2		3	
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital
08	वित्त विभाग	Finance Department	2734,52,12,000	0
10	विधि विभाग	Law Department	43,67,31,000	0
17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	Health & Medical Education Department	607,36,91,000	0
22	सिंचाई विभाग	Irrigation Department	0	54,26,78,000
24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	Hospitality & Protocol Department	3,35,94,000	0
30	जनजातीय कार्य विभाग	Tribal Affairs Department	0	147,75,49,000
32	बागवानी विभाग	Horticulture Department	0	8,76,53,000
34	युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा विभाग	Youth Services & Technical Education Department	0	5,64,78,000
36	सहकारिता विभाग	Cooperative Department	91,24,90,000	0
	जोड़ - राजस्व/ पूंजी	Total - Revenue / Capital	3480,17,18,000	216,43,58,000

"कि अनुदानों की अनूपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16, 18 से 30, 32, 35 से 38, 41 से 46, 49, 51, 52, 55 से 58, 60 से 62, 64 से 66, 68, 69, 71, 76 से 79, 85, 86, 88 से 95, 98, 100 और 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

734

लोक सभा LOK SABHA

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2022-2023
की अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरा बैच
List of Supplementary Demands for Grants-Second Batch for 2022-2023
to be submitted to the Vote of the House Lok Sabha

संख्या और मांग का शीर्षक		No. and Title of the Demand		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि Amount of Demand for Grant to be submitted to the Vote of the House		
1		2		3		
				राजस्व Revenue ₹	पूंजी Capital ₹	जोड़ Total ₹
1	कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग	1	Department of Agriculture and Farmers Welfare	4,00,000	...	4,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2	Department of Agricultural Research and Education	145,29,00,000	...	145,29,00,000
3	परमाणु उर्जा	3	Atomic Energy	...	1,00,000	1,00,000
4	आयुष मंत्रालय	4	Ministry of AYUSH	1,00,000	...	1,00,000
5	रसायन और उर्वरक विभाग	5	Department of Chemicals and Petrochemicals	1,00,000	...	1,00,000
6	उर्वरक विभाग	6	Department of Fertilisers	36325,36,00,000	...	36325,36,00,000
7	भेषज विभाग	7	Department of Pharmaceuticals	1,00,000	...	1,00,000
8	नागर विमानन मंत्रालय	8	Ministry of Civil Aviation	2,00,000	10,00,00,000	10,02,00,000
9	कोयला मंत्रालय	9	Ministry of Coal	1,00,000	...	1,00,000
10	वाणिज्य विभाग	10	Department of Commerce	742,01,00,000	...	742,01,00,000
11	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11	Department for Promotion of Industry and Internal Trade	2,00,000	235,98,00,000	236,00,00,000
12	डाक विभाग	12	Department of Posts	83,96,00,000	518,40,00,000	602,36,00,000
13	दूरसंचार विभाग	13	Department of Telecommunications	25052,58,00,000	634,36,00,000	25686,94,00,000
14	उपभोक्ता मामले विभाग	14	Department of Consumer Affairs	...	6,77,00,000	6,77,00,000
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15	Department of Food and Public Distribution	...	3,21,00,000	3,21,00,000
16	सहकारिता मंत्रालय	16	Ministry of Cooperation	1002,03,00,000	1,00,000	1002,04,00,000
18	संस्कृति मंत्रालय	18	Ministry of Culture	2,00,000	...	2,00,000
19	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19	Ministry of Defence (Civil)	2327,36,00,000	2,00,000	2327,38,00,000
20	रक्षा सेवा (राजस्व)	20	Defence Services (Revenue)	7219,57,00,000	...	7219,57,00,000
21	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21	Capital Outlay on Defence Services	...	1,00,000	1,00,000
22	रक्षा पेंशन	22	Defence Pensions	33724,38,00,000	...	33724,38,00,000
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	23	Ministry of Development of North Eastern Region	...	33,76,00,000	33,76,00,000
24	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	24	Ministry of Earth Sciences	3,00,000	...	3,00,000
25	विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	25	Department of School Education and Literacy	1,00,000	...	1,00,000
26	उच्चतर शिक्षा विभाग	26	Department of Higher Education	12,67,00,000	1,00,000	12,68,00,000
27	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	27	Ministry of Electronics and Information Technology	3,00,000	1,00,000	4,00,000
28	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28	Ministry of Environment, Forests and Climate Change	2,00,000	1,00,000	3,00,000
29	विदेश मंत्रालय	29	Ministry of External Affairs	451,58,00,000	...	451,58,00,000
30	आर्थिक कार्य विभाग	30	Department of Economic Affairs	4,00,000	...	4,00,000
32	वित्तीय सेवा विभाग	32	Department of Financial Services	1,00,000	...	1,00,000
35	राजस्व विभाग	35	Department of Revenue	67012,58,00,000	...	67012,58,00,000
36	प्रत्यक्ष कर	36	Direct Taxes	...	2,00,000	2,00,000
37	अप्रत्यक्ष कर	37	Indirect Taxes	1,00,000	2,00,000	3,00,000
38	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	38	Indian Audit and Accounts Department	...	134,21,00,000	134,21,00,000
41	पेंशन	41	Pensions	1499,19,00,000	...	1499,19,00,000
42	राज्यों को अंतरण	42	Transfers to States	1,00,000	1,00,000	2,00,000
43	मत्स्यपालन विभाग	43	Department of Fisheries	1,00,000	...	1,00,000
44	पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग	44	Department of Animal Husbandry and Dairying	31,14,00,000	...	31,14,00,000
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45	Ministry of Food Processing Industries	1,00,000	...	1,00,000

735

2

1		2		3		
				राजस्व Revenue ₹	पूंजी Capital ₹	जोड़ Total ₹
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	46	Department of Health and Family Welfare	3,00,000	1,00,000	4,00,000
49	गृह मंत्रालय	49	Ministry of Home Affairs	1,00,000	1,00,000	2,00,000
51	पुलिस	51	Police	1,00,000	1,00,000	2,00,000
52	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	52	Andaman and Nicobar Islands	9,00,000	20,00,000	29,00,000
55	लद्दाख	55	Ladakh	4,00,000	...	4,00,000
56	लक्षद्वीप	56	Lakshadweep	35,95,00,000	...	35,95,00,000
57	दिल्ली में स्थानान्तरण	57	Transfers to Delhi	...	1,00,000	1,00,000
58	जम्मू और कश्मीर को अंतरण	58	Transfers to Jammu and Kashmir	158,00,00,000	...	158,00,00,000
60	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60	Ministry of Housing and Urban Affairs	4,00,000	3,00,000	7,00,000
61	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61	Ministry of Information and Broadcasting	1,00,000	...	1,00,000
62	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग	62	Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	1,00,000	1,00,000	2,00,000
64	श्रम और रोजगार मंत्रालय	64	Ministry of Labour and Employment	1,00,000	...	1,00,000
65	विधि और न्याय	65	Law and Justice	3166,09,00,000	...	3166,09,00,000
66	निर्वाचन आयोग	66	Election Commission	...	1,00,000	1,00,000
68	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	68	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	2306,21,00,000	...	2306,21,00,000
69	खान मंत्रालय	69	Ministry of Mines	151,95,00,000	...	151,95,00,000
71	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	71	Ministry of New and Renewable Energy	5536,00,00,000	...	5536,00,00,000
76	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	76	Ministry of Petroleum and Natural Gas	2,00,000	...	2,00,000
77	योजना मंत्रालय	77	Ministry of Planning	16,44,00,000	...	16,44,00,000
78	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	78	Ministry of Ports,Shipping and Waterways	1,00,000	23,86,00,000	23,87,00,000
79	विद्युत मंत्रालय	79	Ministry of Power	1,00,000	...	1,00,000
85	रेल मंत्रालय	85	Ministry of Railways	1340,94,00,000	1,00,000	1340,95,00,000
86	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86	Ministry of Road Transport and Highways	1,00,000	3693,10,00,000	3693,11,00,000
88	भूमि संसाधन विभाग	88	Department of Land Resources	1,00,000	...	1,00,000
89	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	89	Department of Science and Technology	2,00,000	...	2,00,000
90	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	90	Department of Biotechnology	2,00,000	...	2,00,000
91	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	91	Department of Scientific and Industrial Research	1,00,000	...	1,00,000
92	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	92	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	1,00,000	...	1,00,000
93	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	93	Department of Social Justice and Empowerment	...	8,17,00,000	8,17,00,000
94	व्यक्तियों के आधिकारिता और विकलांगता विभाग	94	Department of Empowerment of Persons with Disabilities	1,00,000	...	1,00,000
95	अंतरिक्ष विभाग	95	Department of Space	1,00,000	1,00,000	2,00,000
98	वस्त्र मंत्रालय	98	Ministry of Textiles	2,00,000	...	2,00,000
100	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100	Ministry of Tribal Affairs	96,00,000	...	96,00,000
102	युवा मामले और खेल मंत्रालय	102	Ministry of Youth Affairs and Sports	1,00,000	...	1,00,000
	जोड़		Total	188342,98,00,000	5302,26,00,000	193645,24,00,000

माननीय सभापति : श्री जुगल किशोर शर्मा ।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे वित्तीय बजट और जम्मू कश्मीर के बजट पर बोलने का मौका प्रदान किया ।... (व्यवधान) महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं इस गरिमामयी सदन के समक्ष माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी, पंकज चौधरी जी और इनकी जितनी भी टीम है, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं ।... (व्यवधान) साथ ही, मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने सभी प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बजट सदन में प्रस्तुत किया है ।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वित्तीय बजट के साथ-साथ जम्मू कश्मीर का इस बार का जो बजट आया है, वह बहुत ही सराहनीय बजट है ।... (व्यवधान) यहां पर विपक्ष के जो कांग्रेसी सांसद हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पर चर्चा हो रही है ।... (व्यवधान) जम्मू कश्मीर के लोगों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी सीटों पर चले जाएं और जम्मू कश्मीर की बात आगे ले जाएं ।... (व्यवधान) पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को बहुत ही अच्छा बजट केन्द्र सरकार ने प्रदान किया है ।... (व्यवधान) वित्तीय बजट में बहुत सी ऐसी बातों का ध्यान रखा गया है, जिससे देश के हर नागरिक को फायदा मिल सकता है ।... (व्यवधान) मैं विस्तार में न जाते हुए, कुछ खास बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।... (व्यवधान) मैं रेलवे, जनधन योजना, नाबार्ड द्वारा किसानों की आर्थिक मदद, मनरेगा के अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिन पर मैं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन विशेष तौर पर मैं जम्मू कश्मीर के बजट पर अपनी बात रखना चाहता हूं ।... (व्यवधान) जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है, जिसमें हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि रखी गई है ।... (व्यवधान) लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि जम्मू कश्मीर के लिए... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब मैं वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है**:**

"कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्याओं 1 से 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 8, 10, 17, 22, 24, 30, 32, 34 और 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षो के संबंध में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें**।**"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें – द्वितीय बैच सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है –

"कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16, 18 से 30, 32, 35 से 38, 41 से 46, 49, 51, 52, 55 से 58, 60 से 62, 64 से 66, 68, 69, 71, 76 से 79, 85, 86, 88 से 95, 98, 100 और 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें – द्वितीय बैच पारित हुईं।

… (व्यवधान)

14.16 hrs

GOVERNMENT BILLS - INTRODUCED
(i) JAMMU AND KASHMIR APPROPRIATION (NO.2) BILL, 2023*

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 26.

माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.03.2023

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 27.

माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

14.18 hrs

(ii) JAMMU AND KASHMIR APPROPRIATION BILL, 2023*

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 28.

माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूँ।

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 29.

माननीय मंत्री जी।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.03.2023

** Introduced with the recommendation of the President.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

> "कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

<u>अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>14.21 hrs</u>

(iii) APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2023*

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 30,

माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 31,

माननीय मंत्री जी।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.03.2023

** Introduced with the recommendation of the President.

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14.24 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Re: Cancellation of Sitting of the House

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 22 मार्च, 2023 से नव संवत्सर अर्थात विक्रम संवत 2080 का शुभारंभ हो रहा है। नव संवत्सर को अलग-अलग प्रदेशों में चैत्र शुक्लादि, गुड़ी पड़वा, उगादी और चेती चंड आदि अलग-अलग पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम इस अवसर पर सदन की ओर से देश समस्त जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं।

इस तिथि की महत्ता को देखते हुए अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों से आग्रह प्राप्त हुआ है कि दिनांक 22 मार्च, 2023 को सदन में अवकाश घोषित किया जाए।

मुझे विश्वास है कि आप नव संवत्सर के अवसर पर सदन में अवकाश रखने पर सहमत होंगे।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सब प्लीज बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : थोड़ा और काम हो जाए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कुछ और काम होने दीजिए। कृपया करके बैठ जाइए। सदन चर्चा के लिए है। बजट का यह महत्वपूर्ण सत्र है। कृपया करके आप भी बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.25 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 23, 2023 / Chaitra 2, 1945 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)